ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 490-492
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार व बाजार नियंत्रण : एक अवलोकन

सैयद हुमायूँ अख्तर
पी0 एच0 डी0, इतिहास विभाग, वीर कुँवर सिंहविश्वविद्यालय, आरा (बिहार) भारत।

Received- 21.08.2020, Revised- 23.08.2020, Accepted - 26.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारम्भ होता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से सल्तनत में नए प्रदशों को विजित कर शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अलाउद्दीन ने इस अवरोध को भंग करके, विजयों के तूफानी दौर को प्रारम्भ किया। उसका विश्वास था कि साम्राज्य का विस्तार, उसकी सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण साथ–साथ किये जा सकते हैं। उसके द्वारा सल्तनत का विस्तार तीन चरणों में किया गया अर्थात् (1) गुजरात, राजस्थान और मालवा, जिन्हें सल्तनत के सीधे नियंत्रण में लाया गया, (2) महाराष्ट्र एवं दक्कन के कूछ प्रदेश जिन पर सल्तनत की प्रभुसत्ता की स्थापना की गई और (3) दक्कन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया गया। उसकी प्रथम महत्वपूर्ण सफलता गुजरात के समृद्ध साम्राज्य की विजय थी।

कुंजीभूत शब्द– राज्यारोहण, सल्तनत, साम्राज्यवादी, प्रदेशो, विजित, अवरोध, सुरक्षा, सुदृढ़ीकरण, नियंत्रण, विभिन्न।

अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार– अलाउद्दीन एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, व्यावहारिक राजनेता तथा महान प्रशासक था। उसने अपने शासन के पूर्व प्रचलित शासन व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया और उसने इसमें व्यापक सुधार किए। उसके द्वारा किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार इस प्रकार हैं–

(1) विद्राहों को रोकने के उपाय– अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रारम्भिक दिनों में अकत खाँ, मलिक उमर और मंगू खाँ तथा हाजी मौला के नेतृत्व में तीन विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों से आशंकित होकर सुल्तान ने यह निश्चय किया कि भविष्य में ऐसे विद्रोहों या उपद्रवों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएँ। उसने मूलभूत निरोधात्मक उपाय किए। प्रथमतः, उसने अमीरों तथा अधिकारियों द्वारा संचित धन पर सबसे पहले प्रहार किया। राज्य द्वारा वक्फ या धार्मिक कार्यो के लिए प्रदत्त अनुदानों एवं इक्ताओं को रद्द कर दिया गया। द्वितीयतः, एक कुशल एवं व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया गया। तृतीयतः, दिल्ली में शराब एवं नशीले पदार्थों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया। चतुर्थतः, सामाजिक समारोहों, एवं प्रीतिभोजों के आयोजनों, अमीरों के परिवारों में मध्य वैवाहिक सम्बन्ध तय करने आदि पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए और इन गतिविधियों पर निगरानी रखी जाने लगी। अमीरों के परिवारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध निश्चित करने से पूर्व सुल्तान की अनुमति प्राप्त करना आवश्यकीय बना दिया गया। अमीरों एवं अधिकारियों के मध्य आपसी मेलजोल और अन्तर्सम्बन्धों पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगाए गए।

(2) लगान व्यवस्था में सुधार– उसने भू–राजस्व या लगान व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक सुधार किए। राजस्व एवं लगान व्यवस्था के सम्बन्ध में उसके कुछ महत्वपूर्ण सुधार इस प्रकार थे–

(क) राजस्व विषयक उसका पहला अधिनियम (ज़ाविता) कृषियोग्य भूमि की माप से सम्बन्धित था, जिससे कि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जा सके। बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया गया।

(ख) प्रति विस्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया।

(ग) सुल्तान ने मुखियों और लगान वसूल करने वाले हिन्दू अधिकारियों जैसे कि खूत, मुकद्दम एवं चौधुरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इन्हें अन्य सामान्य कृषकों की भाँति समान दर पर लगान एवं करों को अदा करने के लिए बाध्य किया गया।

(घ) लगान या भू–राजस्व के अतिरिक्त कृषक जनता पर गृह कर (घरी) एवं चारागाह कर (चरी) भी आरोपित किए गए।

(ड़) अधिकांश छोटी इक्तांओं को समाप्त कर दिया गया और इनसे प्राप्त जमीनों को खालिसा (राजभूमि या केन्द्र द्वारा नियंत्रित भूमि) के अंतर्गत लाया गया। संपूर्ण दोआब को खालिसा के अंतर्गत लगाया गया।

(च) खालिसा भू–क्षेत्रों से लगान सीधे राज्य द्वारा वसूल किया जाने लगा।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

(छ) बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सफलता के लिए लगान उपज के रूप में वसूल किया जाने लगा और किसानों को अपनी शेष उपज को खेतों में ही बेचने के लिए बाध्य किया गया, जिससे कि वे अनाज की जमाखोरी न कर सके।

(3) बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम–अलाउद्दीन खिलज़ी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। सुल्तान ने समकालीन बाजारों पर राज्य के पूर्ण नियन्त्रण की स्थापना की, अतः तत्सम्बन्धी सुधारों को बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को सुचालित करने के लिए जो नियम लागू किए गए, वे आर्थिक अधिनियम कहलाते हैं। इन क्रान्तिकारी एवं अनूठे सुधारों को लागू करने के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों या बाजार नियन्त्रण व्यवस्था के क्रियान्वयन के कारणों के बारे में विवाद है। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी के अनुसार इन सुधारों को लागू करने के पीछे मूलभूत उद्देश्य मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना खड़ी करना था। बरनी के अनुसार जब तक वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं किया जाता, तब तक राज्य के समान्य वित्तीय साधनों के द्वारा इतनी विशाल सेना को गठित एवं संतुष्ट नहीं रखा जा सकता था। इस प्रकार बनरी के अनुसार आर्थिक अधिनियमों को सैनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके लागू किया गया था। परन्तु बनरी का विचार बहुत प्रभावशाली नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी अनेक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई, जिनका सैनिकों द्वारा केवल नाममात्र के लिए या बिल्कूल ही उपयोग नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त सैनिक आवश्यकताओं मात्र के लिए इतनी व्यापक व्यवस्था को लागू करने की जरूरत भी नहीं थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरों का इस सम्बन्ध में विचार अधिक विश्वसनीय एवं तार्किक लगता है। खुसरो का कहना है कि सुल्तान ने इन सुधारों को 'सामान्य जन–कल्याण' की दृष्टि से लागू किया था। खुसरो के अनुसार इस सुधारों का लक्ष्य सामान्य लोगों के कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति तथा साथ ही अकाल का सामना करने के लिए निर्धारित दरों पर शाही गोदामों के लिए खाद्यान्न संग्रह सुनिश्चित करना था। बाजार नियंत्रण के लिए सुल्तान द्वारा लागू किए गए आर्थिक अधिनियम' निम्नलिखित थे–

(क) खाद्यान्न से लेकर घोड़ों, पशुओं तथा दासों आदि विभिन्न वस्तुओं की अनुमति के बिना वस्तुओं के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

(ख) विभिन्न वस्तुओं के लिए चार अलग–अलग बाजार, उत्पादित वस्तुओं का बाजार, सामान्य वस्तुओं का बाजार तथा घोड़ों, पशुओं और दासों का बाजार।

(ग) प्रत्येक बाजार शुहना–ए–मण्डी या बाजार नियन्त्रक के अधीन होता था और सभी व्यापारियों को राज्य द्वारा पंजीकृत किया जाता था। सुल्तान को तीन स्वतंत्र स्त्रातों–शुहना, बरीदों (खुफिया अधिकारियों) और मुंशियों (गुप्तचरों) से बाजारों के बारे में प्रतिदिन सूचना मिलती रहती थी।

(घ) धोखधड़ी तथा कम तौलने के लिए बहुत कठोर दण्ड निर्धारित किए गए थे।

(ड़) मंहगी या आयातित वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। लेकिन ऐसी सहायता प्राप्त वस्तुएँ राज्य द्वारा नियुक्त अनुज्ञप्ति अधिकारी (परवाना रईस) द्वारा प्रदत्त परमिट या अनुज्ञप्ति–पत्र के द्वारा ही खरीदी जा सकती थीं।

(च) अकाल, सूखा या खाद्यान्न के अभाव होने पर राशन देने की भी व्यवस्था थी।

(छ) सराय–ए–अदल कपड़ों एवं उत्पादित वस्तुओं का बाजार था, जो शाही महल के पास बदायूँ दरवाजे पर था।

(ज) अश्व व्यापार पर अफगानों एवं मुल्तानियों का एकाधिकार था। बिचौलिए एवं दलाल बाजार से, घोड़े बेचते थे। अलाउद्दीन ने इन बिचौलियों को समाप्त कर दिया और अश्व व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे दीवान–ए–अर्ज को सीधे घोड़े बेचें।

(झ) कृषकों के लिए भी जमाखोरी की मनाही कर दी गई। बरनी का कहना है कि किसान केवल 10 मन अनाज का ही भंडारण कर सकते थे, शेष उत्पाद उन्हें बाजार से बेचना पड़ता था।

अलाउद्दीन के आर्थिक अधिनियम, सल्तनत काल की महानतम प्रशासनिक उपलब्धि हैं। जहाँगीर (1607) के शासनकाल में लिखते हुए फरिश्ता ने यह टिप्पणी की है: "अलाउद्दीन के शासन के अन्त तक ये कीमतें स्थिर रहीं तथा वर्षा के अभाव के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया।" यह एक अनुपम तथा विस्मय कारी उपलब्धि थी। इन आर्थिक सुधारों की सफलता प्रमुख रूप से सुल्तान की प्रतिभा तथा व्यक्तिगत मनोयोग के कारण सम्भव हो सकी। परन्तु उसकी मृत्यु के साथ इन सुधारों का भी अन्त हो गया। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के स्थायी न रह पाने के मुख्य कारण यह था कि यह आर्थिक अधिनियम अर्थशास्त्र के सुस्थापित सिद्धान्तों पर आधारित नहीं थे।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वी0 के0 अग्निहोत्री, भारतीय इतिहास, ऐंलाइड पब्लिशर्स प्राईवेट लि0 मुम्बई।
2. मंजुमदार, राय चौधरी, दत्त, भारत का वृहत इतिहास–2, मेकमिलन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।
3. एस0 के0 पाण्डे, मध्यकालीन भारत, प्रयाग एकेडमी, इलाहाबाद।
4. डॉ0 विपिन बिहारी सिन्हा, मध्यकालीन इस्लाम ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. विद्याधर महाजन, मध्यकालीन भारत, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली।
6. हरिशचन्द्र वर्मा, मध्यकालीन भारत भाग–1, हिन्दी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

*****